15.06.2026: आवेदक/अभियुक्त मोहब्बत अली एवं अन्य की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण ने मुकदमा अपराध संख्या 44 सन 2026 में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.06.2026 को प्रस्तुत किया था, किन्तु पुलिस द्वारा दबाव बनाने के कारण आवेदकगण द्वारा उसी दिन न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया है, जिसके कारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निष्फल हो गया है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र नाट प्रेस करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में सुनवाई हेतु पूर्व से दिनांक 18.6.2026 नियत है। आवेदकगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को नाट प्रेस करने की अनुमति चाही गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न देने का कथन करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र व आदेशपत्र के हाशिये पर ''नाट प्रेस'' का पृष ठांकन किया गया हैं। चूँकि आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने का कथन किया गया है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण तदनुसार बिना गुण दोष पर विचार किए निरस्त किया जाता है।

कृते सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।
15.06.2026